

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—21/2020 (2020/00034) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लादु आत्मज नारायण ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. बालुराम आत्मज भुरा शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 2. राधेश्याम आत्मज भुरा शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 3. राघव आत्मज रामविलास शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 4. शंकरलाल आत्मज डाउ शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 5. मदनलाल आत्मज जगन्नाथ शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 6. मांगीलाल आत्मज जगन्नाथ शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

निर्णय

दिनांक 22.07.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है
ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी
के खातेदारी अधिकारी की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1669 रकबा 1.45 हैक्ट.
भूमि राजस्व खाता संख्या 383 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2072 से
2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात
के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त
लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा
सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना
आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी
कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे हैं। प्रार्थी ने
दिनांक 30.10.2019 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये,
जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 24.02.2020 को
पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस
की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 2 उपस्थित पत्थरगढी करने में कोई आपत्ति नहीं है व
3 लगायत 6 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक तरफा
कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का
कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित
किये जाते हैं। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है
जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः
इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।




आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1669 रकबा 1.45 हैक्ट., भूमि राजस्व खाता संख्या 383 पर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला, मध्य प्रदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—21/2020 (2020/00034) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लादु आत्मज नारायण ब्राह्मण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
प्रार्थी

बनाम

1. बालुराम आत्मज भुरा शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 2. राधेश्याम आत्मज भुरा शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 3. राघव आत्मज रामविलास शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 4. शंकरलाल आत्मज डाउ शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 5. मदनलाल आत्मज जगन्नाथ शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 6. मांगीलाल आत्मज जगन्नाथ शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत


उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीया के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 22.07.2020 को स्वीकार किया गया. उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1669 रकबा 1.45 हैक्ट., भूमि राजस्व खाता संख्या 383 पर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू- अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीया की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।




(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

